न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री लालाराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड 2. श्री पंकज पुत्र स्व. श्री लालाराम जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड 3. श्री प्रदीप पुत्र श्री लालाराम निवासी लुनियापुरा आबूरोड 4. श्रीमती सजनो देवी पत्नी स्व. रामलाल जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड 5. श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. कमल किशोर जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड 6. श्री भवनेश कुमार पुत्र स्व. कमल किशोर जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड 7. पुजा पुत्री स्व. कमल किशोर जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड 8. भावना पुत्री स्व. कमल किशोर जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड 9. हेमलता पुत्री स्व. कमल किशोर जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड		1. श्री प्रवीण पुत्र स्व. लालाराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड 2. श्री नरेश पुत्र स्व. लालाराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड 3. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री माधुजी जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर टी एक्ट

राजस्व वाद संख्या 25/2016

दिनांक 16–12–2020

निर्णय

यह कि वादीगण द्वारा वाद **अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि** मौजा तरतोली पटवार क्षेत्र मोरथला तहसील आबूरोड में निम्नलिखित कृषि भूमि आयी हुई है जिसका रकबा निम्न प्रकार है खसरा संख्या 299 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा किस्म चाही है। उक्त कृषि भूमि में लालाराम पुत्र माधुजी बलाई का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है लालाराम जी की मृत्यु हो चुकी है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लालाराम जी के वारिस है। जो उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सामलाती काश्त कदीम से अपने पिता एवं चाचा कन्हैयालाल के जीवनकाल से गत 24 वर्षो से लगातार करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 3 कन्हैयालाल पुत्र माधु जी गत 24 वर्षो से लापता है। कन्हैयालाल के 1/3 हिस्से की कृषि भूमि पर लालाराम जी अपने जीवनकाल में लगातार काश्त करते रहे है। वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 3 कन्हैयालाल गत 24 वर्षो से लापता है जिसे ढुंढने का अथक प्रयास करने के [illegible] भी उसका कहीं अता पता नहीं चल पाया है समाज बिरादरी एवं गांव के लोगो ने उसे गत 7 [illegible] अधिक समय से जीवित नहीं देखा है विधि के तहत गत 7 व[illegible] अधिक स[illegible] ल[illegible] होने पर उसकी मृत्यु की उपधारणा की जानी है अर्थात कन्हैयालाल [illegible] विधिक [illegible] [illegible] हो चुकी है।

यह कि लालाराम की मृत्यु [illegible] [illegible] संख्या 1 व 2 ने वादीगण को धमकी दी है कि वादीगण कन्हैयालाल प्रतिवादी सं[illegible] 3 का हिस्सा स्वंय के [illegible] एंव प्रतिवादी संख्सा 1 [illegible] खातेदारी दर्ज करवायेगें जबकि कन्हैयालाल के वादी[illegible] [illegible] एवं विधिक वारिसान है एवं कन्हैयालाल के 1/3 हक हिस्से की कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर हक हिस्सा है। वादीगण कदीम कब्जा काश्त होने से एडवर्स पेजशन के आधार पर भी खातेदार कृषक बन चुके है इस कारण खोतदारी की घोषणा का वाद पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 10:00:23 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

——2

हमने प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या तीन का सम्मन अदम तामिल प्राप्त होने से अखबार छाया करवाया गया। इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या तीन कन्हैया लाल अनुपस्थित। स्टेट की ओर से जवाबदावा प्राप्त।

हमने बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी मौजा तरतोली पटवार क्षेत्र मोरथला के खसरा नंबर 02 बीघा 03 विस्वा मे प्रतिवादी संख्या तीन कन्हैया लाल जो गत 24 वर्षो से लापता होने से सिविल डेथ मानते हुये उक्त कन्हैया लाल का 1/3 हिस्सा की खातेदारी भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने हेतु कथन किया है लेकिन वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या तीन कन्हैया लाल जो गत 24 वर्षो से लापता होने एवं इनकी सिविल डेथ को साबित करने मे असफल रहे है। अतः वादीगण का वाद परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

आदेश

यहकि वादीगण अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या तीन कन्हैया लाल की सिविल डेथ को साबित करने मे असफल रहा है। अतः वादीगण का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।
आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 गौरव सैनी) आई0ए0एस0
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 10:00:23 IST
Reason: SelfAttested